A4/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 28/2018

जी.सी.एम.एस. : 2018/00377

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मोहनसिंह पुत्र भोलूसिंह जाति रावत निवासी सेन्दडा, तहसील रायपुर, जिला पाली		1. तहसीलदार सोजत, तहसील सोजत, जिला पाली 2. मोहनसिंह पुत्र केशरसिंह, जाति रावत निवासी सेन्दडा, तहसील रायपुर जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना सरकारी पैरोकार।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 21.6.2024

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम रायरा के नामान्तरकरण संख्या 412 दिनांक 20.06.1992 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि केशरसिंह पुत्र अजीतसिंह जाति रावत की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 281, 283 ग्राम रायरा में स्थित है। केशरसिंह की पत्नी धापुदेवी थी तथा इनकी कोई जाईन्दा पुत्र नहीं थे। केशरसिंह के स्वर्गवास के बाद उक्त कृषि भूमि के मालिक धापुदेवी हुई। धापुदेवी ने अपने जीवनकाल में अपीलाण्ट के पुत्र बालुसिंह को वर्ष 1996 में गोद लिया है, जिसका गोदनामा भी रजिस्टर्ड करवाया गया है। केशरसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय उनके निकट के रिश्तेदार अपीलाण्ट के नाम मोहनसिंह पुत्र केशरसिंह एवं केसी पत्नी केशरसिंह के नाम से दर्ज कर दिया गया। पटवारी हल्का ने अपूर्ण जानकारी के साथ गलत जैर नामान्तरकरण दर्ज किया है। जैर नामान्तरकरण में केसी पत्नी केशरसिंह न होकर धापुदेवी पत्नी केशरसिंह तथा मोहनसिंह पुत्र केशरसिंह न होकर मोहनसिंह पुत्र भोलसिंह है। वर्तमान में धापुदेवी की भी मृत्यु हो चुकी है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जाकर केशरसिंह पुत्र अजीतसिंह का

अति. जिला कलक्टर, पाली

फौतेदगी नामान्तरकरण पुनः सही दर्ज करने के आदेश पारित करवाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1992 में दर्ज किया है। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। केशरसिंह पुत्र अजीतसिंह रावत फौत हो जाने पर फौतेदगी जैर नामान्तरकरण संख्या 412 स्वीकृत किया जाकर केसी पत्नी केसरसिंह एवं मोहनसिंह पुत्र केसरसिंह रावत को खसरा संख्या 281 एवं 283 में बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह कथन किया गया है कि अपीलाण्ट मोहनसिंह पुत्र भोलूसिंह तथा रेस्पोडेण्ट मोहनसिंह पुत्र केशरसिंह एक ही व्यक्ति है। साथ ही पूर्व में नियत पेशी दिनांक 14.05.2024 को अपीलाण्ट ने न्यायालय में उपस्थित होकर कथन किया कि मैं (अपीलाण्ट) तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 एक ही व्यक्ति है। मोहनसिंह पुत्र केशरसिंह को जैर आराजी में खातेदार बनाये जाने के कारण प्रकरण में उन्हे पक्षकार बनाया गया है परन्तु गॉव में मोहनसिंह पुत्र केशरसिंह के नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इसकी ताईद में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा वोटर कार्ड, आधार कार्ड की सत्यप्रति अनुसार अपीलाण्ट का वास्तविक नाम मोहनसिंह पुत्र भोलूसिंह है एवं ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिनांक 06.09.2019 भी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन करता है।

अपीलाण्ट ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि केशरसिंह एवं भोलुसिंह दोनो सगे भाई थे। केशरसिंह की पत्नी का नाम धापुदेवी था एवं उनकी कोई जायन्दा संतान नहीं थी। धापुदेवी ने अपने जीवनकाल में मेरे पुत्र बालुसिंह को वर्ष 1996 में गोद लिया था। जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय केशरसिंह के स्थान पर मेरा नाम मोहनसिंह पुत्र केशरसिंह के रूप में तथा केसी पत्नी केशरसिंह दर्ज कर दिया जबकि केसरसिंह की पत्नी का सही व वास्तविक नाम धापु देवी था तथा मोहनसिंह पुत्र भोलुसिंह एवं मोहनसिंह पुत्र केसरसिंह नाम के दोनो व्यक्ति एक ही है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट मोहनसिंह पुत्र भोलुसिंह एवं रेस्पोडेण्ट मोहनसिंह पुत्र केसरसिंह एक ही व्यक्ति है।

नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी को उस नामान्तरकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सावधानी पूर्वक नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है कि हल्का पटवारी एवं राजस्व कार्मिकों ने ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत ग्राम रायरा पटवार हल्का खोडिया के नामान्तरकरण संख्या 412 दिनांक 20.06.1992 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण

अति. जिला कलक्टर, पाली

तहसीलदार सोजत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समूचित सुनवाई का अवसर देते हुए मृतक केशरसिंह पुत्र अजीतसिंह के विधिक वारिसान एवं दस्तावेजो की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 21/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)